निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 201 / 2018 तारीख दायरा 17.09.2018

उनवान

1. मोडसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
2. कैलाशबाई पुत्री श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
3. धन्नीबाई पुत्री श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
4. रामस्वरूपीबाई पुत्री श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. धारासिंह पुत्र श्री नवलसिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
2. विजयसिंह पुत्र श्री धारासिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
3. रामलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
4. श्रीमती केलाबाई पत्नी श्री धारासिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनॉक :– 19.01.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के तन्हा खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 229 रकबा 0.98 हैक्टर आराजी माल ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 गांव के दबंग व्यक्ति हैं जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिन्हे वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित वादी के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी में मदाखलत–मजामहत, क्षति, नुकसान कारित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 आये दिन वादी के खाते एवं कब्जेकाश्त की उपरोक्त वर्णित आराजी में जबरन फसल का नुकसान करने कब्जा करने को आमादा रहता है। दिनॉक 25.06.2018 को प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी पर आ गये व वादग्रस्त आराजी में मदाखलत–मजामहत, क्षति कारित करने की धमकी दी जिन्हे वादी क्रं. 1 ने काफी समझाया किन्तु नहीं माने व लडाई झगडा करने पर उतारू हुये। इस प्रकार से प्रतिवादी क्रं. 1, 2 के होंसले बुलन्द हैं जो जबरन वादीगण की आराजी में मदाखलत–मजामहत करने को आमादा है जिसमें यदि प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 सफल हो जाते हैं तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। वादकारण दिनॉक 25.06.2018 को प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त आराजी में जबरन मदाखलत–मजामहत, फसल क्षति कारित करने, वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम चरेल तहसील सॉगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 229 रकबा 0.98 हैक्टर आराजी में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 किसी प्रकार से मदाखलत–मजामहत, क्षति, नुकसान, बाधा इत्यादि कारित नहीं करें, वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की तोडफोड, क्षति कारित करके नुकसान नहीं पहुंचावें। वादीगण को ताकत के बल पर जबरन बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 4 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें तथा वादी को वादग्रस्त आराजी शान्तिपूर्ण काश्त करने देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद तलबी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, बयानात गवाहन व वादीगण के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय का आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 229 रकबा 0.98 हैक्टर आराजी में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाशत में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 किसी प्रकार से मदाखलत–मजामहत, क्षति, नुकसान, बाधा इत्यादि कारित नहीं करें, वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की तोडफोड, क्षति कारित करके नुकसान नहीं पहुंचावें। वादीगण को वादग्रस्त आराजी से ताकत के बल पर जबरन बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजी शान्तिपूर्ण काश्त करने देवें। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 19.01.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:16 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

सॉगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 17.09.2018

प्रकरण संख्या : 201 / 2018

उनवान

1. मोडसिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
2. कैलाशबाई पुत्री श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
3. धन्नीबाई पुत्री श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
4. रामस्वरूपीबाई पुत्री श्री भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।

– वादी

बनाम

1. धारासिंह पुत्र श्री नवलसिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
2. विजयसिंह पुत्र श्री धारासिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
3. रामलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।
4. श्रीमती केलाबाई पत्नी श्री धारासिंह जाति गूर्जर निवासी ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

दिनॉक :– 19.01.2021

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी)

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम चरेल तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 229 रकबा 0.98 हैक्टर आराजी में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 किसी प्रकार से मदाखलत–मजामहत, क्षति, नुकसान, बाधा इत्यादि कारित नहीं करें, वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की तोडफोड, क्षति कारित करके नुकसान नहीं पहुंचावें। वादीगण को वादग्रस्त आराजी से ताकत के बल पर जबरन बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजी शान्तिपूर्ण काश्त करने देवें।

निर्णय आज दिनॉक 19.01.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:22:16 IST
Reason: SelfAttested